भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 195*

जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025/21 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

रबी मौसम में यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति

195*. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना के पेद्दापल्ली, जगतियाल और मंचेरियल जिलों में, जहां के किसानों ने यूरिया की समय पर उपलब्धता के संबंध में चिंता व्यक्त की है, आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक की आवश्यकता पर ध्यान दिया हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से इन जिलों के लिए यूरिया और अन्य उर्वरकों के आबंटन में वृद्धि करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ताकि कृषि कार्यों की व्यस्ततम अवधि के दौरान इनकी कमी से बचा जा सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले रबी मौसम के दौरान तेलंगाना को उर्वरकों के आबंटन और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है और वर्तमान मौसम के लिए प्रस्तावित आबंटन जिला-वार कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त जिलों में यूरिया और अन्य उर्वरकों की निर्बाध और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और इनके वितरण की निगरानी और कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

‘रबी मौसम में यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति’ के संबंध में श्री वामसि कृष्णा गद्दाम द्वारा पूछे गए दिनांक 12.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 195* के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): तेलंगाना राज्य सहित देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सभी प्रमुख सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे आपूर्तियों को सुचारू बनाने के लिए समय पर मांग-पत्र भेजकर निर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय करें।

(v) रेल मंत्रालय के साथ पर्याप्त रेक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और राज्यों के लिए रेक की समय पर निकासी के लिए नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

तथापि, जिला स्तर पर राज्य के भीतर उर्वरकों का आकलन और वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

इसके अलावा, चल रहे रबी मौसम 2025-26 और रबी मौसम 2024-25 के दौरान तेलंगाना में उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक के बारे में जानकारी निम्न तालिका में दी गई है:

I. रबी 2025-26 (08.12.25 तक)

<मात्रा एलएमटी में>

क्र.सं.	**उत्पाद समूह**	**08.12.2025 तक यथानुपतिक आवश्यकता**	**08.12.2025 तक उपलब्धता**	**08.12.2025 तक डीबीटी की बिक्री**	**08.12.2025 की स्थिति के अनुसार अंतिम स्टॉक**
1	**यूरिया**	4.41	4.46	1.88	2.58
2	**डीएपी**	0.80	1.25	0.66	0.59
3	**एमओपी**	0.28	0.51	0.15	0.36
4	**एनपीकेएस**	2.76	4.41	1.53	2.88

II. रबी 2024-25

क्र.सं.	**उत्पाद समूह**	**मौसमी आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**	**अंतिम स्टॉक**
1	**यूरिया**	9.80	12.50	10.43	2.07
2	**डीएपी**	1.50	1.74	1.46	0.28
3	**एमओपी**	0.70	0.96	0.66	0.30
4	**एनपीकेएस**	7.00	9.02	6.42	2.60

कालाबाजारी, विपथन, जमाखोरी और अधिक मूल्य निर्धारण जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन कदाचारों के संबंध में उर्वरक विभाग स्तर पर प्राप्त होने वाली कोई भी शिकायत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है। तदनुसार, उर्वरकों की कालाबाजारी सहित इन कदाचारों को रोकने के लिए तेलंगाना राज्य द्वारा सूचित किए गए दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 28.11.2025 तक किए गए प्रवर्तन उपायों के बारे में विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 12.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.195* के उत्तर के भाग (क) से (घ) से संबंधित है।

अप्रैल 25 से नवम्बर 25 (28.11.2025 तक) तक का संचयी विवरण																	
01.04.2025 से 28.11.2025 तक कालाबाजारी, जमाखोरी, विपथन को रोकने तथा गुणवत्ता जांच के लिए तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई																	
		कालाबाजारी			**जमाखोरी**			**घटिया गुणवत्ता**			**विपथन**				**कुल**		
राज्य	**निरीक्षण/छापों की संख्या**	**जारी किए गए कारण बताओ नोटिस**	**रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या**	**दर्ज की गई एफआईआर**	**जारी किए गए कारण बताओ नोटिस**	**रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या**	**दर्ज की गई एफआईआर**	**जारी किए गए कारण बताओ नोटिस**	**रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या**	**दर्ज की गई एफआईआर**	**जारी किए गए कारण बताओ नोटिस**	**रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या**	**दर्ज की गई एफआईआर**	**विवरण के साथ दोषसिद्ध***	**जारी किए गए कारण बताओ नोटिस**	**रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या**	**दर्ज की गई एफआईआर**
तेलंगाना	115321	5	9	3	4	2	0	79	0	0	4	0	5	शून्य	92	11	8